न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3927–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–9–13 पारित द्वारा कलेक्टर, बुरहानपुर प्रकरण कमांक 31/बी–121/12–13.

—

1– सुरेश पुत्र माधवराव पाटिल
2– गोपाल पुत्र बाबूराम पाटिल
3– दौलतराम पुत्र माधवराव पाटील
4– श्रीमती मंगलाबाई बेवा चंदकांत पाटील
निवासीगण ग्राम उमरदा
तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– धन्नूलाल पुत्र घनश्याम मल्लाह
2– मंगल पुत्र घनश्याम मल्लाह
3– गुलाब पुत्र घनश्याम मल्लाह
निवासीगण मोहल्ला नागझीरी
तहसील व जिला बुरहानपुर
4– अनिल पुत्र लक्ष्मण किशोर
निवासी जय स्तम्भ के पास, बुरहानपुर .....अनावेदकगण

———

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री कौशलेन्द्र सिंह तोमर, अभिभाषक,अनावेदकगण

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/2015 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश 10–9–13 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर, बुरहानपुर के समक्ष इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि ग्राम उमरदा तहसील नेपानगर में श्रीराम जानकी मंदिर ट्रस्ट स्थापित है, और मंदिर के नाम सर्वे कमांक 19; 45, 137, 147, 284, 289 एवं 292 रकबा कमशः 0.300, 0.150, 0.800, 2.700, 1.600, 1.630 एवं 1.340 हेक्टेयर भूमि है । ट्रस्ट के अधिकांश ट्रस्टियों की मृत्यु हो चुकी है, और उक्त भूमि पर आवेदकगण द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है । ट्रस्ट से लगभग 5 लाख रूपये वार्षिक आय होती है, और श्रीराम जानकी मंदिर के विस्तार विकास का कोई खास प्रबंध नहीं है, अतः श्रीराम जानकी मंदिर के ट्रस्ट की आय–व्यय अभिलेख की जांच की जाये एवं सम्पत्ति सरकार के नियंत्रण में ली जाये । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 31/बी–121/12–13 दर्ज कर दिनांक 10–9–13 को आदेश पारित कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर जिला बुरहानपुर को इस निर्देश के साथ भेजा गया कि मूल भूमिस्वामी के वारिसों की जानकारी प्राप्त करें । यदि यह सम्पत्ति ट्रस्ट से संबंधित है तो ट्रस्ट के संबंध में जांच की जाये । संपत्ति का कोई वारिस न हो तो ऐसी स्थिति में शासन हित में संपत्ति को राजसात करने की कार्यवाही की जाये । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से जॉच कर प्रतिवेदन मांगा गया था, और आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बतलाया गया था कि प्रश्नाधीन संपत्तियां आवेदकगण की वाडिलोपार्जित सम्पत्तियां हैं, जो उन्हें उनके पूर्वजों के बाद वारिसाना हक में प्राप्त हुई हैं । आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर कलेक्टर द्वारा कोई विचार नहीं कर आदेश पारित करने में

अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने में कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि वसीयतकर्ता ट्रस्टी गनपत एवं गोविंदा द्वारा आवेदकगण के पक्ष में दिनांक 16–12–1940 को वसीयतनाम निष्पादित किया गया है, इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि ट्रस्ट की भूमि थी, परन्तु ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं था, और प्रश्नाधीन संपत्तियां आवेदकगण के खानदान की संपत्ति है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा कलेक्टर के समक्ष सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे, इसलिए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को वापिस भेजने की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु कलेक्टर द्वारा प्रकरण वापिस भेजने संबंधी आदेश पारित करने में नितांत अवैध एवं अनुचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किए जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से कलेक्टर के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी, जिन पर उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है, और न ही आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया गया है, केवल प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन संपत्ति ट्रस्ट की संपत्तियां हैं, और अधिकांश ट्रस्टियों की मृत्यु हो चुकी है, जिसके आवेदकगण वारिस नहीं हैं । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा अभी प्रकरण जांच हेतु अनुविभागीय अधिकारी को वापिस भेजा गया है, जहां आवेदकगण को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है, और वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष साक्ष्य से इस तथ्य को प्रमाणित कर सकते हैं कि प्रश्नाधीन सम्पत्तियां उनकी पैतृक संपत्तियां हैं, ट्रस्ट की नहीं । उनके द्वारा कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि श्री रामजानकी मंदिर के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को जांच के लिए भेजा है । उक्त कार्यवाही प्रशासनिक स्वरूप की कार्यवाही है, जिसमें इस स्तर पर हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है । इसके अतिरिक्त प्रकरण में अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है, जहां आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है, और वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि मंदिर के ट्रस्ट की नहीं होकर उनके स्वामित्व की होने के तथ्य को प्रमाणित कर सकते हैं। दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश 10–9–13 स्थिर रखा जाकर, निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर